न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 4/2022

अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधि0 1956

रतनलाल पुत्र सुर्यकरण जाति ब्राहमण निर्वार्थी सिरोंज तह० अरांई जिला अजमेर राज०।

प्रार्थी

बनाम

1– रामकुंवार पुत्र श्रीकिशन

2–रामजीलाल पुत्र रामरतन

3–सत्यनारायण पुत्र धन्ना

4–गंगाराम पुत्र गोपी

जाति बैरवा निवासी सिरोंज तह० अंराई जिला अजमेर राज ० ।

5–नन्दू पुत्री गोपी

6–भंवरलाल पुत्र गोपी

7– रामी पुत्री गोपी

8– तहसीलदार तह० अरांई जिला अजमेर राज०।

——अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 2/1/26.

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि खाता नंबर 100 के खसरा नंबर 592 रकबा 2.1439 हैक्टयेर बंजर–1, बंजर–2, बारानी–ए, गै.मु. छापर, चाही 1 चाही 3 वाके ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज गिरदावर हल्का सिरोंज तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित है। जिसकी चालु जमाबंदी मे आशा 1/120 हिस्से की कल्पना 1/120 हिस्से की छीतरमल 7/20 हिस्से का, निशा 1/120 हिस्से की, 31/120 हिस्से की, रेखा 1/120 हिस्से की प्रार्थी रतनलाल 7/120 हिस्से का, सीमा 1/120 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। एवं खाता नं0 317 के खसरा नंबर 1460/595 रकबा 0.3317 हैक्टयेर चाही 3, पडत चाही बंजर एवं खसरा नं0 1585/595 रकबा 0. 2589 हैक्टयेर चाही 3, प. बारानी वाके ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज गिरदावर हल्का सिरोंज तहसील अंराई जिला अजमेर मे स्थित है जिसकी चालू जमाबंदी मे सम्पूर्ण भुमि की खातेदारी अप्रार्थी सं० 1 के नाम अंकित है। एवं खाता नंबर 356 के खसरा नं0 595 रकबा 0. 5987 हैक्टयेर चाही 3, प. बारानी, पडत चाही, बारानी–1 वाके ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज गिरदावर हल्का सिरोंज तहसील अंराई जिला अजमेर मे स्थित है जिसकी चालू जमाबंदी मे सम्पूर्ण भुमि की खातेदारी अप्रार्थी सं0 2 के नाम अंकित है। एवं खाता नंबर 436 के खसरा नंबर 1458/595 रकबा 0. 5987 हैक्टयेर चाही 3, प.बारानी, पडत चाही, बंजर–1 वाके ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज गिरदावर हल्का सिरोंज तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित है जिसकी चालू जमाबंदी में सम्पूर्ण भुमि की खातेदारी अप्रार्थी सं० 3 के नाम अंकित है। एवं खाता नंबर 229 के खसरा नंबर 1459/595 रकबा 0. 5987 हैक्टयेर चाही 3, प. बारानी, पडत चाही, बंजर –1 वाके ग्राम सिरोंज पटवार हल्का सिरोंज गिरदावर हल्का सिरोंज तहसील अंराई जिला अजमेर में स्थित है जिसकी चालू जमाबंदी मे सम्पूर्ण भुमि की खातेदारी अप्रार्थी सं० 5/12 हिस्से का अप्रार्थीया सं० 5 नन्दू 1/12 हिस्से की अप्रार्थी सं० 6 भंवर 5/12 हिस्से का, अप्रार्थीया सं0 7 रामी 1/12 हिस्से की सयुक्त खातेदारी के नाम अंकित है। आराजी खसरा नंबर 592 रकबा 2.1439 हैक्टयेर वाके ग्राम सिरोंज तहसील अंराई जिला अजमेर का नक्शा

WD

विभाजन पूर्व सही दर्ज था किन्तु विभाजन पश्चात पटवारी हल्का ने खसरा नंबर 592 के सम्पूर्ण रकबे के मौके के कब्जे की खातेदारान की जांच किये बिना प्रार्थीगण जो कि खसरा नं0 592 रकबा रकबा 2.1439 हैक्टयेर वाके ग्राम सिरोंज तहसील अंराई जिला अजमेर के खातेदार काश्तकार है के स्थान पर राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 दर्ज कर दिया व खसरा नंबर 1460/595, 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 जिस पर अप्रार्थीगण सं० । लगायत 7 काबिज है को खसरा नंबर 592 राजस्व नक्शे मे मौके के कब्जे के विपरित कर दिया जबकि तरमीमशुदा नक्शे मे जहां खसरा नंबर 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 है वहा खसरा नंबर 592 दर्ज होना चाहिये इसी अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है व बरसो से काबिज काश्त चले आ रहे है व अपने अपने हिस्से की भुमि को विकसित कर रखी है। चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का जमाबंदी मे दर्ज रकबे के अनुसार काबिज काश्त है परन्तु राजस्व नक्शे मे गलत तरमीम दर्ज हो रखी है। खसरा नंबर 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 का पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये बिना खातेदारान की जानकारी के राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 592 के स्थान पर खसरा नंबर 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 मौके की स्थिति के विपरित दर्ज कर दिया की बजाय खसरा नंबर 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 के स्थान पर खसरा नंबर 592 प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे के अनुसार दुरूस्त होना आवश्यक है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की खातेदारी की आराजीयात खसरा नंबरान 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 व 592 का राजस्व नक्शे मे मुताबिक खातेदारी के रकबे अनुसार तरमीम नही हो रखी है जिस कारण पक्षकारान अपनी अपनी खातेदारी की आराजी के रकबे पर काबिज काश्त मे परेशानियो का सामना करना पड रहा है ओर आये दिन कब्जे, हिस्से, सीमा, मेड़ को लेकर विवाद होता रहता है ओर अप्रार्थीगण बिना विधिक तोर पर मुताबिक खातेदारी के खसरा नंबरान 1585/595, 595, 1458/595. 1459/595 की मोके पर राजस्व नक्शे मे तरमीम के बिना व बिना सीमा ज्ञान कराये अपनी खातेदारी की आराजी भुमाफियाओ को विक्रय कर मनचाहा भाग व मनचाहा रकबे पर कब्जा कराने पर उतारू है एंव प्रार्थीगण को उनके हिस्से अधिकारो से वंचित करना चाहते है। अप्रार्थीगण दिनांक 29/09/21 को अजनबियो भूमाफियओ को लेकर विवादग्रस्त आराजी पर आये ओर मनचाहा स्थान पर अपने नंबर बताकर विक्रय करने व मनचाहा भाग व खातेदारी मे अंकित रकबे से अधिक भाग पर कब्जा कराने पर उतारू हुये। प्रार्थीगण ने विवादग्रस्त खसरा नंबर 592 का राजस्व नक्शे मे खसरा नंबरान 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 अंकित होने से राजस्व नक्शे मे मुताबिक खातेदारी के तरमीम कराने व अलहदा अलहदा तरमीम कर अलहदा अलहदा भाग दर्शित कराने को कहा तो अप्रार्थीगण इनकार हो गये व आराजी विक्रय करने व मनचाहा भाग पर कब्जा कराने की धमकी दी अतः यह प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व नक्शे मे मुताबिक खातेदारी के खसरा नंबरान, 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 की मुताबिक जमाबंदी मे अंकित रकबे अनुसार तरमीम कराकर सीमाबंधी कराने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ । अगर अप्रार्थीगण ने बिना विधिवत तरमीम कराये व बिना सीमाज्ञान कराये आराजी का बेचान कर दिया तो कब्जे काश्त को लेकर विवाद पेदा होगा ओर प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति होगी ओर व्यर्थ मे मुकदमे बाजी बढेगी। प्रार्थीगण ने दिनांक 01/10/21 को पटवारी हल्का को उक्त तरमीम दुरूस्ती करने को कहा तो उन्होने तहसीलदारजी के यहां कार्यवाही करने को कहा जिस पर तहसीलदारजी ने पटवारी हल्का ने मौके की रिपोर्ट मंगवायी जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 11/11/21 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही करने की हिदायत दी अतः यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व नक्श मे खसरा नंबर 1585/595, 595, 1458/595, 1459/595 के स्थान पर खसरा नं० 592 संलग्न नक्शेनुसार मुताबिक रकबा अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 11.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 10.3.2022 को प्राप्त हुए तथा 20.8.2025 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 व 6 का सहमति जवाब प्राप्त हुआ । प्रतिवादीगण के सहमति का जवाब तथा पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार . ग्राम सिरोंज की वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी में खाता सं. 114 में ख.न.592 रकबा 2.1439 हैक्टेयर भूमि अभिस्नेहा पुत्री अशोक हि 7/400, आदित्य पुत्र अशोक हि. 7/400. आशा पुत्री उमराव हि. 1/120 कल्पना पुत्र उमराव हि. 1/120 गरिमा पुत्री अशोक हि.7/400, निशा पुत्री उमराव हि. 1/120 नोरती पत्नी स्व. उमराव हि. 31/120 भाग्यश्री पुत्री सत्यनारायण हि. 7/300 मुकेश पारीक पुत्र छीतरमल हि. 7/100, रेखा पुत्री उमराव हि. 1/120, रवि पारीक पुत्र सत्यनारायण हि 7/300, रामरतन पुत्र सूर्यकरण हि.7/20, लीलादेवी पत्नी स्व. छीतरमल हि. 7/100 वासुदेव पारीक पुत्र छीतरमल हि.7/100, सरोज पत्नी स्व सत्यनारायण हि. 7/300, सीमा पुत्री उमराव हि. 1/120 सर्वजाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। खाता संख्या 317 में ख.न. 1460/595 रकबा 0.3317 हैक्टेयर व ख.न 1585/595 रकबा 0.2589 हेक्टेयर भूमि रामकुंवार पुत्र श्रीकिशन (अप्रार्थी सॅ. 1) हि. पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरॉई के नाम दर्ज है। खाता सॅ. 356 में ख.न.595 रकब 0.5987 हैक्टेयर भूमि रामजीलाल पुत्र रामरतन (अप्रार्थी सॅ.2) हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा.देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरॉई के

Wp

नाम दर्ज है । खाता सं.436 में ख.न. 1458/595 रकबा 0.5987 हैक्टेयर भूमि सत्यनरायण पुत्र धन्ना (अप्रार्थी सॅ. 3) हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। खाता सं.229 में ख.न. 1459/595 रकबा 0.5987 हैक्टेयर भूमि गंगाराम पुत्र गोपी (अप्रार्थी सं.4) हि.5/12 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरॉई नन्दू पुत्री गोपी (अप्रार्थी सं.5) हि. 1/12, भंवर पुत्र गोपी (अपार्थी सं.6) हि.5/12, रामी पुत्री गोपी (अप्रार्थी सं. 7) हि. 1/12 सर्वजाति बैरवा सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ग्राम सिरोंज के नक्शा लट्ठा एकीकरण संवत 2019 में एवं नक्शा संवत 2027 में भिन्नता है। एकीकरण नक्शा में ख.न.595 की तरमीम ख.न.593 के पश्चिमी मेड से उत्तर दिशा में चलकर पूरब से पश्चिम तक ख.न.598 से मिलती है एवं ख.न.595 व 600 के बीच का भाग ख.न.592 का है। एवं उक्त ख.न.592 ख.न.595 व 600 के मध्य व ख.न.601 व 1069 के बीच में स्थित है जिसकी एकीकरण पासबुक नक्शा की नकल संलग्न है। नक्शा संवत 2027 में ख.न.595 के उत्तर दिशा में स्थित मेड की तरमीम हटा दी गयी एवं एकीकरण नक्शे की तुलना में ख.न.592 का भाग ख.न.595 में मिला दिया गया है। इसी प्रकार ख.न.593 के उत्तर पूर्वी भाग से ख.न.591 के उत्तर पश्चिमी भाग तक रेखा खींचकर ख.न.592 अंकित कर दिया गया है। इसी नक्शा संवत 2027 में अंकित ख.न.595 का बंटवारा करके नवीन ख.न. 595, 1458/595, 1459/595,1460/595 व 1585/595 दर्ज किये गये। जिनकी नक्शा लट्ठा संवत 2027 के अनुसार ही वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शे में तरमीम हो रखी है। नक्शा संवत 2027 में उक्त ख.न. 595 की तरमीम की तुलना नक्शा संवत 2019 से करने पर ख.न.595 में ख.न.592 का आँशिक भाग शामिल कर दिया गया था। नक्शा संवत 2027 में दर्ज ख.न.595 का बंटवारा कर नक्शे में की गयी तरमीम के अनुसार ही वर्तमान नक्शे में तरमीम की हुयी है।भू.अ.नि. सिरोंज व पटवारी हल्का सिरोंज के मौका पर्चा दिनांक 12/05/2023 के अनुसार मौके पर प्रार्थी एवं इसके सहखातेदार ख.न.592 पर एकीकरण नक्शे में अंकित आकृति अनुसार काबिज है। एवं ख.न.595 के सहखातेदार एकीकरण नक्शे में अंकित ख.न.595 की आकृति में विभाजन पश्चात मौके पर काबिज है। मौका पर्चा की छायाप्रति संलग्न है।

तहसीलदार अराई की जांच रिपोर्ट अनुसार पेरोकार जवाब अनुसार वर्तमान नक्शा व मौके अनुसार राजस्व नक्शा में भिन्नता है। ग्राम सिरोंज के राजस्व नक्शे में खसरा नं0 1585/595,595,1458/595,1459/595 के स्थान पर खसरा नं0 592 राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त के आदेश किये जाते है । राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मे तरमीम दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)